

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

वादी
छोगाराम

बनाम

प्रतिवादी
मालाराम
किरम

मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बर 2015 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
7.6.2018	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2018 केम्प कोर्ट पीथावास में प्रस्तुत हुई। हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.06.2015 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2015 को बाद सुनवाई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई जो आज दिन तक निरस्तर रूप से जारी है जो विगत 03 वर्षों से जारी हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 02.06.2015 को वाद के निस्तारण तक जारी रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि मौके पर पक्षकारों के मध्य और कोई विवाद नहीं हो एवं न ही मुकदमें बाजी और बढ़े। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौजा जालेली चम्पावता तहसील व जिला जोधपुर की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 120 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा, कुल रकबा 97 बीघा 10 बिस्वा भूमियों पर दोनों पक्षों को मौके एवं रेकर्ड की यथारिथिति बनाये रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा से वाद निर्णय तक पावन्द किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;">(रोहित कुमार) आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर केम्प कोर्ट पीथावास</p> <p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कोर्ट पीथावास में प्रस्तुत हुई। हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.06.2015 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2015 को बाद सुनवाई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई जो आज दिन तक निरस्तर रूप से जारी है जो विगत 03 वर्षों से जारी हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 02.06.2015 को वाद के निस्तारण तक जारी रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि मौके पर पक्षकारों के मध्य और कोई विवाद नहीं हो एवं न ही मुकदमें बाजी और बढ़े। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौजा जालेली चम्पावता तहसील व जिला जोधपुर की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 120 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा, कुल रकबा 97 बीघा 10 बिस्वा भूमियों पर दोनों पक्षों को मौके एवं रेकर्ड की यथारिथिति बनाये रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा से वाद निर्णय तक पावन्द किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।</p>	

206

दिनांक 2/6/18 में वकालत 120,
 121, 131 कुल वकालत 37 बीघा
 10 बीघा वही ही जे कि - आदि
 दिनांक 7/6/18 में वकालत 121
 वकालत 23 बीघा 14 बीघा किलीकी
 बरिखवा बिजाना 78 गापा धर
 अतः दिनांक 2/6/18 में कौशल
 वैकीलन करते हुए, (0-0

121 वकालत 23 बीघा 14 बीघा
 जोड़ा जाते हैं वीक काटेन
 अथवा रहोत।

पनवली कराल
 सुमाव होकर 6 पनवली
 हो।

सहायक कलक्टर एवं सहायक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
 जयपुर